न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-122RAAJodhpur2023-64RTA223 Kiran bai ors Vs Narendrasingh etc

01. किरण बाई पत्नी श्री प्रकाशचन्दजी
02. चन्द्रा बाई पत्नी श्री नेमीचन्दजी
जातियान् चौपड़ा, निवासीगण- बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज, हाल मुकाम 316/379 प्रथम मंजिल स्ट्रीट, 23 हिमायत नगर, हैदराबाद {तेलंगाना} जरिये खासमुख्त्यार विनोद चौपड़ा पुत्र श्री सम्पतराज जी जाति जैन, निवासी- लक्ष्मी नगर पावटा सी रोड़ जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नरेन्द्रसिंह काबा {ईओ} नगरपालिका परिसर बिलाड़ा
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 71/2021 किरण बाई व अन्य बनाम नरेन्द्रसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री गौतम भार्गव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 71/2021 अनवान किरण बाई व अन्य बनाम नरेन्द्रसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 659/4 रकबा 04 बीघा किस्म नहरी तृतीय, खसरा नं. 569/5 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा किस्म नहरी तृतीय ग्राम पिचियाक के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 06 फरवरी 2023 के जरिये वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर वक्त खरीद ही बाद सीमांकन एवं पैमाईश अपने हक हदूद में दीवार बनवाई थी जो दीवार निर्विवाद अपनी सीमा में बनी हुई है। अपीलांट्स द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भी स्पष्ट था कि नदी के मुटाम व दीवार के बीच में 20-20 फुट की दूरी थी। रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को महज तंग व परेशान करने की नियत से अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार का हवाला दते हुए बिना सोचे समझे तथा बिना ज्ञान के अपीलांट्स को दीवार गिराने का नोटिस दे दिया, जबकि नदी विलाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है तथा अपीलांट्स की उक्त कृषि भूमि ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित है। जिस कारण रेस्पोडेंट्स को किसी प्रकार का नोटिस देने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज सीरवी उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट्स की ओर से अपीलांट्स को दिये गये लिगल नोटिस को नोट प्रेस कर लिया तथा बाद में वाद में उपस्थित नहीं होने के लिये मौखिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रूप सें न्यायालय को कह दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस नोटप्रेस करने के आधार पर वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत नोटिस के कारण ही वादकारण उत्पन्न हुआ है। यदि रेस्पोडेंट्स द्वारा भविष्य में अपीलांट्स को नोटिस दिया जाकर उनकी कृषि भूमि में बनी दीवार को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो अपीलांट को क्षति होना संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की इस्तदुआ पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा वांछित इस्तदुआ विधिनुसार प्रदान किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट्स की ओर से दिनांक 15.06.2021 को अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के संबंध में अपीलांट्स को नोटिस जारी कर नदी तट एवं बहाव क्षेत्र में निर्माण किये जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया तथा अपने समक्ष उपस्थित होकर भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये अन्यथा राज. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 245 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाने का लिखा गया। इसके प्रत्युतर में दिनांक 21.06.2021 को अपीलांट्स द्वारा जवाब नोटिस मय भूमि दस्तावेज रेस्पोडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर बनाई गई मेड़बंदी {दीवार} को किसी प्रकार से तोड़फोड़ नहीं किये जाने हेतु रेस्पोडेंट्स को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाने का अनुतोष चाहा गया।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना तथा वादीगण के अनुतोष पर गौर किये बिना वाद को केवल प्रतिवादी की ओर से पूर्व में जारी नोटिस नोटप्रेस किये जाने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध अनुतोष शेष नही रहने के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा भविष्य में अपीलांट्स को नोटिस दिये जाते तथा अपीलांट्स के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो अपीलांट्स को अनावश्यक मुकदमेबाजी में पड़ना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 71/2021 अनवान किरण बाई व अन्य बनाम नरेन्द्रसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 खारिज किये जाकर वांछित अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर